



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 27, 2018 (BHADRA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अगस्त, 2018

संख्या 7/31/2014-3 ए० आर०.- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा आयोग की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3 ए० आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: -

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3 ए० आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,-

(i) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 49 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

1	2	3	4	5	6	7
"49	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	(ii) पानी का रिसाव होना / पाईप से अतिरिक्त पानी बहना	7 दिन	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का सम्बन्धित उपमण्डल अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।";

(ii) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 52 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

1	2	3	4	5	6	7
“52.	विद्युत	खंभों के टूटने के कारण ओवरहेड लाईन ब्रेकेंडाउन	24 घण्टों के अन्दर शहर तथा कस्बे	कनिष्ठ अभियंता [प्रभारी]	उपमण्डल अधिकारी [परिचालन]	कार्यकारी अभियंता [परिचालन]”;

(iii) खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 56 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

1	2	3	4	5	6	7
“56	विद्युत	शेडयूल आऊटेज की अवधि (क) सिंगल स्ट्रेच में अधिकतम अवधि (ख) आपूर्ति बहाल करना	किसी भी दिन में 8 घण्टों से अधिक नहीं किसी भी दिन सायं 6:00 तक	कनिष्ठ अभियंता [प्रभारी] कनिष्ठ अभियंता [प्रभारी]	उपमण्डल अधिकारी [परिचालन] उपमण्डल अधिकारी [परिचालन]	कार्यकारी अभियंता [परिचालन] कार्यकारी अभियंता [परिचालन]
				टिप्पण:—I बिजली की कमी/ग्रिड मुद्दों के मामले में स्थानीय (क्षेत्रीय) कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है। टिप्पण:—II स्थानीय (क्षेत्रीय) अधिकारी प्रणाली आदि के विस्तार/अनुरक्षण के लिए उनके द्वारा लगाए गए निर्धारित कट/शटडाउन के लिए जिम्मेवार है।”;		

(iv) क्रम संख्या 58 में, खाना 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, मद (iv) तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

1	2	3	4	5	6	7
		(iv) सभी अन्य मामलों में जले हुए मीटर बदलना	उपभोक्ता मीटर के मामले में 72 घण्टें तथा उपभोक्ताओं द्वारा निगम मीटर के प्रभारों के भुगतान के मामले में 24 घण्टें के अंदर	कनिष्ठ अभियंता [प्रभारी]	उपमण्डल अधिकारी [परिचालन]	कार्यकारी अभियंता [परिचालन]”;

(v) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 61 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
61.	विद्युत	मीटर/सर्विस कनेक्शन की शिफ्टिंग तथा अन्य सेवाएं— (i) मीटर/सर्विस कनेक्शन की शिफ्टिंग (ii) 11केवी के अधिक एल. टी./एच.टी. लाईनों की शिफ्टिंग	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 15 दिन के अन्दर विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 45 दिन के अन्दर	कनिष्ठ अभियंता [प्रभारी] उपमण्डल अधिकारी [परिचालन]	उपमण्डल अधिकारी [परिचालन] कार्यकारी अभियंता [परिचालन]	कार्यकारी अभियंता [परिचालन] अधीक्षण अभियंता [परिचालन]

1	2	3	4	5	6	7
		(iii) 11केवी से अधिक एच. टी. लाईनों की शिफ्टिंग	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 45 दिन के अन्दर	उपमण्डल अधिकारी [परिचालन]	कार्यकारी अभियंता [परिचालन]	अधीक्षण अभियंता [परिचालन]
		(iv) ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग	विहित प्रभारों सहित अनुरोध की पावती के बाद 60 दिन के अन्दर	उपमण्डल अधिकारी [परिचालन]	कार्यकारी अभियंता [परिचालन]	अधीक्षण अभियंता [परिचालन]
				टिप्पण:—लाईनों तथा ट्रांसफार्मरों की शिफ्टिंग राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू) की उपलब्धता तथा उपभोक्ता द्वारा शिफ्टिंग की लागत जमा करवाने, जहाँ भी लागू हो, के अध्यक्षीन। ”		

डी० एस० डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 27th August, 2018

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule:-

(i) against serial number 49, under columns 2,3,4,5,6 and 7 for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“49	Public Health Engineering	(i)Water Leakage Over Flow pipes	7 days	Concerned Sub Divisional Engineer of PHED	Concerned Executive Engineer of PHED	Concerned Superintending Engineer of PHED.”.

(ii) against serial number 52, under columns 1,2,3,4,5,6 and 7 for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“52	Power	Overhead line break downs due to breakage of poles	Cities and towns within 24 hours	JE (In Charge)	SDO (OP)	XEN (OP).”.

(iii) against serial number 56, under columns 1,2,3,4,5,6 and 7 for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“56	Power	Period of schedule outage (a) Maximum duration in single stretch	Not to exceed 8 hours in any day	JE (In Charge)	SDO(OP)	XEN(OP)

		(b) Restoration supply	By 6:00 PM on any day	JE (In Charge)	SDO(OP)	XEN(OP)
				Note:-1. In case of Power shortage/grid issues the local field officials are not responsible Note:-2. The local field officers are responsible for scheduled cuts/shut downs taken by them for maintenance, extension of system etc.”		

(iv) Against serial number 58, under columns 3, 4, 5, 6 and 7 for the existing item (iv) entries theiragainst, the following item and entries theiragainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“58	Power	(iv) Replace burnt meters in all other cases	Within 72 hours in case of consumer meter and 24 hours in case of Nigam meter of payment of charges by consumers	JE (In Charge)	SDO(OP)	XEN(OP)”.

(v) Against serial number 61 under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

1	2	3	4	5	6	7
“61	Power	Shifting of meter/ service Connection and other services. (i) Shifting of meter/ service connection	Within 15 days after receipt of request along with prescribed charges	JE (In charge)	SDO (OP)	XEN (OP)
		(ii) Shifting of LT/HT Line exceeding 11KV	Within 45 days after receipt of request along with prescribed charges	SDO (OP)	XEN (OP)	SE (OP)
		(iii) Shifting of HT Line exceeding 11KV	Within 45 days after receipt of request along with prescribed charges	SDO (OP)	XEN (OP)	SE (OP)
		(iv) Shifting of HT Line exceeding 11KV	Within 45 days after receipt of request along with prescribed charges	SDO (OP)	XEN (OP)	SE (OP)
		(v) Shifting of Transformer	Within 60 days after receipt of request along with prescribed charges	SDO (OP)	XEN (OP)	SE (OP)
			Note:- The shifting of lines and transformers are subject to the availability of Right of way (ROW) and deposit of cost of shifting by consumer wherever applicable.”.			

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.